

क्रमांक एफ 73-47/20-3/2008
प्रति,

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004
भोपाल, दिनांक 28-6-08

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय शिक्षण संस्था लायन्स जूनियर कॉलेज (हायर सेकेण्डरी) मनावर जिला धार, म0प्र0 को सी.बी.एस.इ. / अई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विषयानुकूल संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं आपथ पत्र के अधार पर संस्था को सी.बी.एस.इ. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :—

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता निलंबन के उपरात भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण सचावनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कार्यालयी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में समिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अभिन्न शनन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

M. K. D.
27/6/08
(एम.के. दाष्टहु)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

३

11/2/11

पृष्ठा क्रमांक एफ 73-47/20-3/2008

प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 28-6-08

1- सचिव, (संबोधित संस्था / समिति) अशासकीय शिक्षण संस्था लायन्स जूनियर कॉलेज (हायर सेकेण्डरी) मनावर जिला धार, म0प्र० की ओर अग्रेष्टि। अशासकीय शिक्षण संस्था लायन्स जूनियर कॉलेज (हायर सेकेण्डरी) मनावर जिला धार, म0प्र० को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से रामबद्धता/मान्यता हतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्था सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को पस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जाच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी जनापल्टी प्रनाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

- 2- आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र., भोपाल।
 3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला धार, म0प्र०।
 4- ऑर्डर बुक।

28/6/08
 अवर सचिव
 मध्यप्रदेश शासन, रक्तूल शिक्षा विभाग